राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 173/2014/चित्तौड़.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, चित्तौड़गढ़. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स वैभव सेनेटरी स्टोर, चित्तौड़गढ़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 17/07/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 55/वैट/12–13/चित्तौड़गढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, चित्तौड़गढ़ (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2008–09 के लिये कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.01.2011 में संशोधन कर विवरण पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिये आरोपित शास्ति को कम करने के लिये दिये गये संशोधन प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करने के आदेश दिनांक 28.08.2012 के विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय दिया गया कि वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित करने के पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है एवं न ही कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान विक्रय कर अधिकरण एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए रूपये 3470/– की शास्ति को अपास्त किया गया है।

लगातार.....3

3. उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 19.07.2013 के विरूद्ध राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील पर राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. अपीलीय आदेश के अध्ययन पर यह पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा निरन्तर निर्णय दिये गये हैं कि बिना किसी सुनवाई के विवरण–पत्रों की देरी के लिये धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण अविधिक है अतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

17/7/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य